जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 165/2016 अनवानी रामचन्द्र शर्मा पुत्र लालाराम निवासी गांव खांटा तहसील रायसिंहनगर बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर , श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18–09–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र शर्मा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.09.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर पत्र कंमाक सीएच–4780/14 दिनांक 16.12.2014 परिवाद जांच जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट मय कार्यवाही की प्रमाणित सूदा नकल।
2. माननीय मुख्यमन्त्री महोदय राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र कंमाक/मु.म./विविध–58156/14/6934 दिनांक 12.02.2014 पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित सूदा नकल।

पत्र संख्या एक व दो संलग्न है 410–11 दिनांक 20.01.2015/मु.म./विविध/2014/6935

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.09.15 के द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई और न ही प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम बताया गया है और लोक सूचना अधिकारी मुख्य मन्त्री प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को सूचना के संबंध में उनके अपील अधिकारी का नाम भी नही बताया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उसकी अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे और उसके द्वारा चाही गई दो बिन्दुओ की सूचना की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या सीएम/2016/8568 दिनांक 16.11.16 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी श्री रामचन्द्र का सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से संबंधित होने के कारण मूल ही उनके कार्यालय के पत्र सं0 7854 दिनांक 18.03.2016 के द्वारा भिजवाया जा चुका है जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पत्र सं0 7855–56 दिनांक 18.03.16 से भिजवा दी गई थी।

लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन के साथ प्राप्त पत्र सं0 मु.म.प्रको0/2016/7854–56 दिनांक 18.03.2016 के अनुसार प्रार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र का संबंध उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को भिजवाया जाकर पत्र की प्रति प्रार्थी को भी प्रेषित कर सूचित किया गया है। अपीलार्थी को चाही गई सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के कार्यालय में सम्पर्क करना चाहिए था अगर उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई जाती तो वह उनके विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है जबकि अपीलार्थी द्वारा यह अपील लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जो सुनवाई योग्य नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को आदेश दिया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर के पत्र सं0 मु.मं.प्रको0/2016/7854 दिनांक 18.03.16 के द्वारा उन्हें भिजवाये गये प्रार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र का इस आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर नियमानुसार निस्तारण कर जो सूचना अपीलार्थी को देय हो वह उसे उपलब्ध करवाई जावे और जो सूचना देय न हो उसके संबंध में भी प्रार्थी के आवेदन का निस्तारण कर अपीलार्थी को सूचित करे। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से यदि अपीलार्थी सन्तुष्ट न हो तो वह इस न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर